न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

अपील :: 13/2018 ::

अपीलांट :—	बनाम	रेस्पोडेन्टगण:—
1. श्रीमती मिठुकंवर पुत्री हनुमानसिंह पत्नी छोटूसिंह राजपूत निवासी वाण, तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.) 2. छोटूसिंह पुत्र नगसिंह राजपूत निवासी वाण, तहसील शिवंगज जिला सिरोही (राज.)		1. हनुमानसिंह पुत्र हेमसिंह राजपूत निवासी डेण्डा, तहसील पाली जिला पाली (राज.)

अपील :: 14/2018 ::

अपीलांट :—	बनाम	रेस्पोडेन्टगण:—
1. हनुमानसिंह पुत्र हेमसिंह राजपूत निवासी डेण्डा जरिये वादमित्र पर्वतसिंह पुत्र हेमसिंह दतक पुत्र नवलसिंह राजपूत निवासी डेण्डा तहसील व जिला पाली (राज.)		1. श्रीमती मिठुकंवर पुत्री हनुमानसिंह पत्नी छोटूसिंह राजपूत निवासी वाण, तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.) 2. छोटूसिंह पुत्र नगसिंह राजपूत निवासी वाण, तहसील शिवंगज जिला सिरोही (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों
का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

उभयपक्ष में से श्रीमती मिठुकंवर एवं हनुमानसिंह की ओर से वादमित्र पर्वतसिंह उप.

—: आदेश :—

दिनांक :— 13.12.2018

अपीलांट श्रीमती मिठुकंवर वगैरा की ओर से अपील संख्या 13/2018 एवं अपीलांट श्री हनुमानसिंह की ओर पर्वतसिंह पुत्र हेमसिंह दतक पुत्र नवलसिंह राजपूत द्वारा अपील संख्या 14/2018 अर्न्तगत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली के न्यायालय के प्रकरण संख्या 14/2017 बनवान हनुमानसिंह बनाम श्रीमती मिठुकंवर वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12.09.2018 के विरुद्ध पेश की गई हैं। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन मय अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। दोनों पक्षो को सुना गया। दोनों ही अपील उपखण्ड अधिकारी, पाली के एक ही आदेश के विरूद्ध पेश होने से दोनों अपीलों को संयोजित कर बाद सुनवाई एक ही निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है।

अपीलांट मिठुकंवर ने अपनी अपील में कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली ने अपने प्रकरण संख्या 14/2017 में दिनांक 12.09.2018 को उसको बिना सुनवाई का अवसर दिए 13000/— रूपये का मासिक भरण पोषण के रूप रेस्पोडेण्ट को देने बाबत निर्णय पारित कर दिया, जो काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट मिठुकंवर रेस्पोडेण्ट हनुमानसिंह की एक मात्र सन्तान है। उसकी माता का निधन पूर्व में ही हो चुका है एवं उसके पिता हनुमान सिंह लकवाग्रस्त है, जो उसके पास ही रह रहे थे। जिनकी सेवा सुश्रुषा वह कर रही थी। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने से लगभग 10—15 दिवस पूर्व रेस्पोडेण्ट हनुमानसिंह के भाई पर्वतसिंह वगैरा अपीलाण्ट के ससुराल वाण आए तथा हनुमानसिंह को अपने साथ कुछ दिवस गांव ले जाने का कह कर उनको गांव डेण्डा लेकर आ गए। जिसके 10 दिनों

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पश्चात अपीलाण्ट मिठुकंवर अपने पिता को लेने गांव डेण्डा गई तो रेस्पोडेण्ट के भाई जो की अपीलाण्ट के रिश्ते में ताऊ एवं काका होते है, उन्होंने उसे अपने पिता से मिलने नहीं दिया तथा उससे कहां कि उसके पिता की सम्पती में मिठुकंवर का कोई हक नहीं बनता है, हमारे सामाजिक रिवाजों के अनुसार उसके पिता की जमीन पर उनका ही हक है। इसके पश्चात उन लोगों ने रेस्पोडेण्ट को बहला–फुसला कर उनके वादमित्र की हैसीयत से पर्वतसिंह ने अपीलाण्टगण के विरूद्ध धारा 5 अभिभावको एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टगण के नोटिस तामील नहीं होने की सुरत में उसके विरूद्ध जमानती वारण्ट जारी कर दिया, तब अपीलाण्टगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब एवं दस्तावेज पेश किया। जिनको नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्गय पारित कर दिया। जो काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट मिठुकंवर एक पर्दानशीन समाज से तालुक रखती है व गृहणी है तथा उसका पति एक प्राईवेट नौकरी करता है, जिससे उसको 5,000/– रूपये मासिक वेतन मिलता है। जिससे वे लोग रेस्पोडेण्ट को भरण पोषण एवं देखभाल हेतु 13,000/– रूपये की राशि उनके भाईयों को नहीं दे सकते है। रेस्पोडेण्ट के गांव में उसकी स्वयं की जमीन है तथा उसके वृद्धावस्था पेंशन भी आती है। जिससे उसको भरण पोषण राशि की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मिठुकंवर द्वारा यह जाहिर किया गया है कि वह अपने पिता की वृद्धवस्था एवं बिमारी में भरण पोषण व सेवा करने के लिए उन्हें अपने साथ अपने ससुराल वाण ले जाकर कर सकती है। इस बाबत उसने एक प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में पेश किया है। हनुमानसिंह के भाई पर्वतसिंह वगैरा यह सब हनुमानसिंह की जमीन हड़पने की नियत से उनको अपने कब्जे में ले रखा है तथा उनकी बीमारी का नाजायत फायदा उठाना चाहता है। इसलिए निवेदन है कि भरण पोषण एवं सेवा के लिए उसके पिता हनुमानसिंह को उसके साथ ले जाने के आदेश प्रदान करावें।

अपीलाण्ट हनुमानसिंह की ओर से उनके भाई वादमित्र पर्वतसिंह ने द्वितीय अपील में कथन किया कि श्रीमती मिठुकंवर हनुमानसिंह की एकमात्र सगी पुत्री है, जो उसके ससुराल ग्राम वाण तहसील शिवगंज जिला सिरोही में रहती है हनुमानसिंह एक लकवाग्रस्त वरिष्ठ नागरिक है। जो चलने–फिरने में असमर्थ है। उसकी पुत्री ने उसकी सेवा करने के नाम पर अपने ससुराल वाण ले जाकर रखा तथा उसकी बिमारी का ईलाज करवाने का कहकर पाली लेकर आई तथा अपने नाम उनकी जमीन गांव डेण्डा के खसरा नम्बर 1095 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा में से 13 बीघा का रजिस्ट्रर्ड बखशीसनामा करवा कर अपने पिता हनुमानसिंह को गांव डेण्डा के उसके सुने मकान में छोड कर चली गई। जिसका पता हनुमानसिंह के भाई को होने पर वे उसके पास गए उसको सम्भाला। तब हनुमानसिंह ने उनको समस्त स्थिति से अवगत कराया व उनसे उक्त बखशीसनामें को निरस्त करवाने एवं भरण पोषण राशि अपनी पुत्री से प्राप्त करने बाबत कानुनी कार्यवाही करने हेतु कहा। तब पर्वतसिंह ने वादमित्र की हैसीयत से प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली ने 13000/– रूपये मासिक भरण पोषण देने का आदेश कर दिया एवं बखशीसनामा निरस्त करने बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया है। वर्तमान में हनुमानसिंह की स्थिति को देखते हुए उनको सेवा तथा उनके इलाज हेतु दवाई की आवश्कता है। चुंकि मिठुकंवर अपने ससुराल में निवासरत है, जहां उसके पिता को ले जाकर ससुराल में सार–सम्भाल नहीं कर, वह उसके साथ मारपीट करेगी एवं एक वृद्ध व्यक्ति की सेवा सही ढंग से नहीं करेगी। इसलिए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार हनुमानसिंह को उसकी एकमात्र पुत्री से नियमानुसार 10,000/– रूपये मासिक भरण पोषण हेतु दिलवाने एवं उसकी पुत्री के पक्ष में उसके द्वारा निस्पादित बखशीसनामे को निरस्त कराने हेतु भी निवेदन किया।

उभयपक्ष को रूबरू सुना गया तथा उनकी मनःस्थिति के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अनुसार श्रीमती मिठुकंवर को अपने पिता के बैंक खाते

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

में प्रतिमाह 13,000/– रूपये जमा करवाने हेतु आदेश पारित किया गया है। जबकि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 9 (2) में स्पष्ट अंकन है कि भरण पोषण के रूप में अधिकतम 10,000/– रूपये से अधिक नहीं होगा, जो कि न्यायोचित नहीं होने से उक्त निर्णय में जो 13,000/– रूपये प्रतिमाह भुगतान का आदेश दिया है। वह विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। इसी अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार " यदि सन्तान या संबधी जैसी स्थिति हो वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूर करता है, तो अधिकरण, ऐसी अपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, ऐसी संतानों या संबंधीयों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु ऐसी मासिक दर पर मासिक भता, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उसका भुगतान करने के आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण समय–समय पर निर्देश दे। " जबकि जैर अपील प्रकरण में मिठुकंवर पत्नी छोटुसिंह अपने पिता हनुमानसिंह की एकमात्र सन्तान है, जो अपने पिता का भरण पोषण करने हेतु न तो उपेक्षा करती है न ही नामंजूर करती है, उसने स्वयं अपने पिता का भरण पोषण एवं सेवा चाकरी करने के लिए अपने पिता को अपने ससुराल ले जाकर, अपने साथ रखकर करने हेतु एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपील में वर्णित बखशीसनामे से किया गया अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक् असर के अधीन किया जाना नहीं माना जा सकता, न ही इसे शुन्य घोषित किया जाना विधि सम्मत है। वरिष्ठ नागरिक को अपनी संतान से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, जो उसकी एकमात्र संतान मिठुकंवर इसके लिए सहमत है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा पारित जैर अपील आदेश न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट मिठुकंवर की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा पत्रावली संख्या 14/2017 बअनवान हनुमानसिंह बनाम मिठुकंवर वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2018 को निरस्त किया जाता है एवं श्री हनुमानसिंह की एकमात्र सन्तान श्रीमती मिठुकंवर को उसके द्वारा प्रस्तुत भरण पोषण एवं सेवा सुश्रुषा हेतु सहमती प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आदेशित किया जाता हैं कि वह अपने पिता के सम्मान जनक भरण पोषण एवं सेवा सुश्रुषा की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली से प्राप्त पत्रावली लौटाई जावें तथा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट को निर्णय की प्रति पालनार्थ एवं सूचनार्थ भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 13.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, पाली
जिला मजिस्ट्रेट, पाली